न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 15/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
भुण्डाराम पुत्र राजाराम जाति नायक निवासी कंटालिया तहसील मारवाड जंक्शन		सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मनोज श्रीनाथ, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 14/7/2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 1343/2015 में तहसीलदार मा0जं0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/2016/177 दिनांक 05.08.2016 के द्वारा रेकर्ड प्रस्तुत किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का कंटालिया द्वारा तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम कंटालिया प्रथम के खसरा नम्बर 1508 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इस पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की किसी भी रूप में जांच नही करवाई गई कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण है या नही ? वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का किसी भी रूप में अतिक्रमण नही है। उक्त भूमि आबादी की भूमि है एवं रास्ते के चिपती हुई होने से पटवारी हल्का द्वारा बिना सीमाज्ञान किये, वास्तविक तथ्यों से विपरित रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी जांच करवाये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा न ही कोई साक्ष्य लेखबद्ध किये गये। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है, जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया हो एवं पूर्व में कभी अपीलाण्ट का अतिक्रमण हटाया गया हो। पटवारी के जो बयान कलमबद्ध किये गये, उसमें अपीलाण्ट को जिरह का अवसर भी प्रदान नही किया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते

अति० जिला कलक्टर, पाली

हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम कंटालिया प्रथम के खसरा नम्बर 1508 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम ग्राम कंटालिया प्रथम के खसरा नम्बर 1508 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर कच्ची झोपडी का निर्माण करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार मा0जं0 के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार मा0जं0 द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भुण्डाराम को अतिक्रमी घोषित किया एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कारण तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया है, जो नोटिस लेने से मना करने के कारण चस्पा किया गया, जो पर्याप्त तामील मानी गई है। नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट स्वयं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जवाब का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। इसके पश्चात दिनांक 18.01.2016 को पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये गये एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 18.02.2016 को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 18.02.2016 को जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये गये है, जिसमें पटवारी हल्का ने जाहिर किया कि इसी भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटाया गया। इसके बावजूद भी इनके द्वारा पुनः अतिक्रमण कर झोपडा निर्माण किया है, इस प्रकार ये आदतन अतिक्रमी है। इनका अपीलाण्ट द्वारा कोई प्रतिकार नही किया गया है। इन समस्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1343/2015 सरकार बनाम भुण्डाराम में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14/7/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली